फर्द अहकाम

छीतरमल व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य

संख्याः 127 / 2022

	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
2024	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्षकारान उपस्थित। दिनांक 26.03.2024 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। वादी की ओर से साक्ष्य स्वय छीतरमल, भागचन्द व कन्हैयालाल के पेश किये। पत्रावली मे बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वादीगण ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि दावा वादीगण बहक विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद फरमाया जावे कि वो वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 283 रकबा 13 बिस्वा ग्राम मदरामपुरा, पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सागांनेर, जिला जयपुर (राज०) जिसके नये खसरा नम्बर 356 मिन रकबा 0.21 हैक्टयर, बना है, की भूमि में किसी भी हिस्से मे कोई रोड नही डाले, जबरन तारबंदी नही हटावे, जबरन कोई निर्माण कार्य नही करे, जबरन कब्जे का कोई प्रयास नही करे, वादीगण के कब्जे काश्त मे कोई मजाहमत नही करे, अन्य को आंवटित नही करे, अन्य दिगर व्यक्ति संस्था के हक में पटटे जारी नही करे, उक्त कार्य ना तो प्रतिवादीगण स्वयं करे, ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट इत्यादि से करावे व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पेरा सं0–1 (एक) मे वर्णित आराजीयात वादीगण के कब्जे अनुसार साबिक खसरा नम्बर 283 रकबा 13 बिस्वा ग्राम मदरामपुरा, पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सागां[illegible] जयपुर (राज०) जिसके नये खसरा नम्बर 356 [illegible] 0.21 हैक्टयर, बना है की भूमि वादीगण के नाम घोषित की [illegible]कर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड हिस्से अनुसार इन्द्राज कर अंकन किया जावे तथा वादीगण के मध्य विधिवत बाई मिट्स	

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested

2024

फर्द अहकाम

छीतरमल व अन्य बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण व अन्य

वाद संख्या: 127 / 2022

एण्ड बाउण्डस के आधार पर सरस नरस के आधार पर विधिवत तकासमा किया जाकर लगान राज अलग अलग कायम किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे अर्थात कब्जेशुदा आराजीयात को वादीगण के नाम कब्जे अनुसार घोषित किया जाकर दुरुस्ती इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रतिवादी सं0–1 व 2 को आदेशित किया जावे कि वो उपरोक्त आराजीयात जो कि वाद पत्र के पेरा सं0–1 (एक) मे वर्णित आराजीयात साविक खसरा नम्बर 283 रकबा 13 बिस्वा ग्राम मदरामपुरा, पटवार क्षेत्र शिकारपुरा, तहसील सागानेर, जिला जयपुर (राज०) जिसके नये खसरा नम्बर 356 मिन रकबा 0.21 हैक्टयर, बना है वादीगण का मौके के कब्जे अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादीगण स0–1 लगायत 4 का नाम दर्ज किया जाकर लगान राज अलग अलग किया जावे इस हेतु आदेशित किया जावे।

बहस एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर वादीगण की ओर वाद साबित नही होने के कारण वाद अस्वीकार कर वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.04.02 12:48:34 IST
Reason: SelfAttested